समाचार

शहर में नई सड़क का निर्माण नहीं बल्कि बरसात में खराब हुई सड़कों का संधारण व सील कोटिंग कार्य

(जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सड़कों का नियमित संधारण के तहत कराया जाएगा कार्य, आमजन को आवागमन में मिलेगी राहत)

कोरबा 22 नवम्बर 2020 –शहर में नई सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा बल्कि अतिवृष्टि व यातायात के दबाव के कारण सड़कों पर बने गढ्डे एवं उनकी जीर्ण स्थिति को दूर कर आवागमन सुगम बनाने हेतु जिला स्तरीय समिति के द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण पश्चात की गई अनुशंसा पर शहर की 22 किलोमीटर लंबाई वाली प्रमुख 07 सड़कों का नियमित संधारण के तहत आवश्यकतानुसार संधारण कार्य के साथ–साथ सील कोटिंग का कार्य कराया जाएगा।

यहां उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत कोरबा शहर में स्थित विभिन्न प्रमुख मार्ग विगत वर्षा ऋतु के दौरान हुई अतिवृष्टि व यातायात के दबाव के कारण खराब हो गए हैं, सड़कों पर जगह–जगह गढ्डे हो जाने से यातायात में व्यवधान व दुर्घटनाएं होती हैं, साथ ही सड़कों की वर्तमान स्थिति व लगातार होने वाले भारी संख्या में आवागमन के कारण आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। निगम द्वारा जिला खनिज न्यास मद से इन सड़कों के संधारण हेतु प्रस्ताव तैयार किए गए थे, स्थल की आवश्यकतानुसार संधारण कार्यो के साथ–साथ डामर के सील कोट के प्रावधान जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा स्थल निरीक्षण करने के पश्चात तैयार किए गए। इस समिति में शामिल लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, प्रधानमंत्री सड़क योजना तथा नगर निगम कोरबा के अभियंताओं की टीम ने संयुक्त रूप से शहर की विभिन्न सड़कों का मौके पर स्थल निरीक्षण किया तथा स्थल की आवश्यकतानुसार सड़कों के संधारण व डामरीकरण कार्यो हेतु सात प्रभाग में प्राक्कलन तैयार कराए। इन 07 सड़कों के संधारण व डामरीकरण कार्यो हेतु जिला खनिज न्यास मद से 10 करोड़ 33 लाख 09 हजार रूपये की स्वीकृत दी गई एवं कार्यो की निविदा जारी की गई।

इन सड़कों का होगा संधारण कार्य– निगम क्षेत्रांतर्गत कोरबा शहर की 22 किलोमीटर लंबी सात प्रमुख सड़कों का संधारण, जीर्णोद्धार व डामरीकरण का कार्य कराया जाएगा। सी.एस.ई.बी.चौक से सुनालिया चौक तक डिवाईडर के दोनों ओर कुल 04 किलोमीटर की लंबाई हेतु 01 करोड़ 35 लाख 14 हजार रूपये की स्वीकृति डी.एम.एफ. मद से दी गई है। इसी प्रकार सुनालिया चौक से गौमाता चौक तक डिवाईडर के दोनों ओर कुल लंबाई 06 किलोमीटर हेतु 01 करोड़ 37 लाख 54 हजार रूपये, गुरूघासी दास चौक से महाराणा प्रताप चौक तक 1.2 किलोमीटर लंबी सड़क हेतु 01 करोड़ 40 लाख 09 हजार रूपये, महाराणा प्रताप चौक से घंटाघर चौक तक डिवाईडर के दोनों ओर कुल लंबाई 1.4 किलोमीटर हेतु 01 करोड़ 75 लाख 45 हजार

रूपये, घंटाघर से शास्त्री चौक तक डिवाईडर के दोनों कुल लंबाई 3.8 किलोमीटर हेतु 01 करोड़ 12 लाख 21 हजार रूपये, शास्त्री चौक से रिसदी चौक तक कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर हेतु 01 करोड़ 32 लाख 36 हजार रूपये तथा आई.टी.आई.चौक से सी.एस.ई.बी.चौक तक कुल लंबाई 2.1 किलोमीटर हेतु 01 करोड़ 17 लाख 50 हजार रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

नियमित अंतराल में होता है संधारण कार्य– उक्त कार्य में शहर में किसी नवीन सड़क का निर्माण कार्य नहीं कराया जाना हैं बल्कि अतिवृष्टि व यातायात के दबाव के कारण खराब हुई सड़कों का नियमित संधारण कार्य व सील कोटिंग का कार्य किया जाएगा। निगम द्वारा समय–समय पर एक नियमित अंतराल के पश्चात आवश्यकतानुसार सड़कों का नियमित संधारण व जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाता है ताकि आवागमन सुविधापूर्ण बना रहे, आमजन को अनावश्यक परेशानी न हों तथा सड़कें दुरूस्त रहें।